(21)

संख्या–164 /XLI-1/2011–65–प्रशि0/06

प्रेषक,

ओ0पी0 तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 23 जून, 2011

विषयः– राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नारसन (लंढौरा), हरिद्वार के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नारसन (लंढौरा), हरिद्वार के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अनुमोदित आंगणन रू0 222.85 लाख के सापेक्ष अब तक रू0 175.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अवशेष रू0 47.85 लाख (रूपये सैंतालीस लाख पिचासी हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. कार्य करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये किया जायेगा।

3. उक्त कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब के कारण आगणनों का पुनरीक्षण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य, आयोजनागत–001– निदेशन तथा प्रशासन, 07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण–00–24–वृहत निर्माण कार्य मद" के नामें डाला जायेगा ।

6. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(I)/2011 दिनॉक 31.03.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ0पी0 तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, प्रषिक्षण निदेशालय, हल्द्वानी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हरिद्वार इकाई, हरिद्वार।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नारसन (लंढौरा), हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।